9-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी मुतालिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय मुफ्त से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया डिक्री जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
राजकीय कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.08.2019 वादीया परमजीतकौर व कर्मजीतकौर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 151 व 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उक्त शीर्षक का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर डिक्री फरमाया गया है। मुताबिक राजीनामा वादीया संख्या 1 को चक 3 यू.टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 115/99 पत्थर नम्बर 51/213 (40) किला नम्बर 4, 5/1, 7, 8/1, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/213 (41) किला नम्बर 21, 22 कुल 2.972 हैक्टर में 1.960 हैक्टर व चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 106/95 पत्थर नम्बर 60/216 (31) किला नम्बर 23, 24, पत्थर नम्बर 60/217 (32) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.201 हैक्टर नहरी व चक 1 यू.टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 73/66 पत्थर नम्बर 60/218 (30) किला नम्बर 3/1, 4, 5, 6/1 कुल 0.582 हैक्टर नहरी में 0.038 हैक्टर व इसी प्रकार वादिया संख्या 2 को चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जानें में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहमत होनें का कथन किया था व इसी अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जानें का निवेदन किया था लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री में वादिया संख्या 2 को प्राप्त कृपि भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 को ही खातेदार घोषित किया गया है जबकि वादिया संख्या 2 मुताबिक राजीनामा चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना था उक्त त्रुटि संशोधन किये जानें योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2019 में मुताबिक राजीनामा वादिया संख्या 2 को चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी का खातेदार काश्तकार होना अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादीगण के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को ही दोहराते हुए उक्तानुसार संशोधन हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता कथनो पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 09.08.2019 में संशोधन किया जाकर निर्णय व डिक्री में "**तथा प्रतिवादी संख्या 1 रूप सिंह के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 की 5.060 हैक्टर, भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**" को विलोपत करते हुए उसके स्थान पर "**तथा प्रतिवादी संख्या 1 रूप सिंह के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 27 एल.एल. डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 की 5.060 हैक्टर, भूमि का वादीया संख्या 2 कर्मजीत कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**" का संशोधन किया जाता है।

उक्त आदेश निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 09.08.2019 का भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 145/2019

1 परमजीत कौर पत्नी श्री गुरदयाल सिंह पुत्री श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी अबालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2 कर्मजीत कौर पत्नी श्री गुरतेज सिंह पुत्री श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 बाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 रूप सिंह पुत्र श्री भगत सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता — वादी
2. श्री भवानीसिंह निर्वाण अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 106/95 पत्थर नम्बर 60/216 (31) किला नम्बर 23, 24, पत्थर नम्बर 60/217 (32) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.201 हैक्टर नहरी व चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी व 13 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 99/87 पत्थर नम्बर 62/233 (17) किला नम्बर 20 ता 25, पत्थर नम्बर 62/234 (22) किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 13 कुल 4.048 हैक्टर में 1.012 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन व चक 1 यू.टी. एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 73/66 पत्थर नम्बर 60/218 (30) किला नम्बर 3/1, 4, 5, 6/1 कुल 0.582 हैक्टर नहरी में 0.038 हैक्टर व चक 3 यू.टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 115/99 पत्थर नम्बर 51/213 (40) किला नम्बर 4, 5/1, 7, 8/1, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/213 (41) किला नम्बर 21, 22 कुल 2.972 हैक्टर अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से घरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादिया संख्या 1 को चक 3 यू.टी. एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 115/99 पत्थर नम्बर 51/213 (40) किला नम्बर 4, 5/1, 7, 8/1, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/213 (41) किला नम्बर 21, 22 कुल 2.272 हैक्टर में 1.960 हैक्टर व चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील

लगातार 2

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

हनुमानगढ़ के खाता संख्या 106/95 पत्थर नम्बर 60/216 (31) किला नम्बर 23, 24, पत्थर नम्बर 60/217 (32) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.201 हैक्टर नहरी व चक 1 यू.टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 73/66 पत्थर नम्बर 60/218 (30) किला नम्बर 3/1, 4, 5, 6/1 कुल 0.582 हैक्टर नहरी में 0.038 हैक्टर व इसी प्रकार वादिया संख्या 2 को चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई जिस पर वादीगण काबिज काश्त है जिसकी वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करवाने की अधिकारी व दावेदार है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे उपरोक्त कृषि भूमि की मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करवा देवें लेकिन वह इन्कार हो गया। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वादपत्र वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

(क) घोषणा फरमाई जावें कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में से वादिया संख्या 1 चक 3 यू.टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 115/99 पत्थर नम्बर 51/213 (40) किला नम्बर 4, 5/1, 7, 8/1, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/213 (41) किला नम्बर 21, 22 कुल 8.272 हैक्टर में 1.960 हैक्टर व चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 106/95 पत्थर नम्बर 60/216 (31) किला नम्बर 23, 24, पत्थर नम्बर 60/217 (32) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.201 हैक्टर नहरी व चक 1 यू.टी.एस तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 73/66 पत्थर नम्बर 60/218 (30) किला नम्बर 3/1, 4, 5, 6/1 कुल 0.582 हैक्टर नहरी में 0.038 हैक्टर व वादिया संख्या 2 चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

(ख) मुताबिक घोषणा वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज किया जावें।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादीगण के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

वादीदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 24.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर करनें पर उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

लगातार 3

Web Copy, Not official

Scanned by CamScanner

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त शीर्षक के वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पंचायत व मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 106/95 पत्थर नम्बर 60/216 (31) किला नम्बर 23, 24, पत्थर नम्बर 60/217 (32) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.201 हैक्टर नहरी व चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी व 13 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 99/87 पत्थर नम्बर 62/233 (17) किला नम्बर 20 ता 25, पत्थर नम्बर 62/234 (22) किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 13 कुल 4.048 हैक्टर में 1.012 हैक्टर नहरी गय गैरमुमकिन व चक 1 यू.टी. एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 73/66 पत्थर नम्बर 60/218 (30) किला नम्बर 3/1, 4, 5, 6/1 कुल 0.582 हैक्टर नहरी में 0.038 हैक्टर व चक 3 यू.टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 115/99 पत्थर नम्बर 51/213 (40) किला नम्बर 4, 5/1, 7, 8/1, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/213 (41) किला नम्बर 21, 22 कुल 2.972 हैक्टर अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्त वर्णित कृषि भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से घरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादिया संख्या 1 को चक 3 यू.टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 115/99 पत्थर नम्बर 51/213 (40) किला नम्बर 4, 5/1, 7, 8/1, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/213 (41) किला नम्बर 21, 22 कुल 2.972 हैक्टर में 1.960 हैक्टर व चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 106/95 पत्थर नम्बर 60/216 (31) किला नम्बर 23, 24, पत्थर नम्बर 60/217 (32) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.201 हैक्टर नहरी व चक 1 यू. टी.एस. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 73/66 पत्थर नम्बर 60/218 (30) किला नम्बर 3/1, 4, 5, 6/1 कुल 0.582 हैक्टर नहरी में 0.038 हैक्टर व इसी प्रकार वादिया संख्या 2 को चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर 59/222 (16) किला नम्बर 1 ता 15, पत्थर नम्बर 57/231 (61) किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5.060 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। इसी अनुसार वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान किये जाने व इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करने में हम मिकरान को कोई आपत्ति नहीं है व राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर डिक्री किया जावें।

अतः राजीनामा मिकरान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा सहमति से अच्छी तरह पढ़कर समझ लिया है जिसे मिकरान स्वीकार करते है, राजीनामा लिख दिया है कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 4

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 439 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 रूपसिंह के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 106/95 की 2.201 हैक्टर, चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 पत्थर नम्बर की 5.060 हैक्टर, 13 जे.डी. डब्ल्यू. के खाता संख्या 99/87 की कुल 4.048 हैक्टर में 1.012 हैक्टर, चक 1 यू.टी.एस. के खाता संख्या 73/66 की कुल 0.582 हैक्टर में 0.038 हैक्टर व चक 3 यू.टी.एस. के खाता संख्या 115/99 की 2.972 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवम् साक्ष्य दस्तावेजात के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री होनें के कारण उनका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 5

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 रूपसिंह के नाम तहसील हनुमानगढ़ के तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 106/95 की 2.201 हैक्टर, चक 1 यू.टी. एस. के खाता संख्या 73/66 की कुल 0.582 हैक्टर में से 0.038 हैक्टर व चक 3 यू.टी.एस. के खाता संख्या 115/99 की 2.972 हैक्टर में से 1.960 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.199 हैक्टर भूमि का वादीया संख्या 1 परमजीतकौर को तथा प्रतिवादी संख्या 1 रूप सिंह के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 की 5.060 हैक्टर, भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 09.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 145/2019

1 परमजीत कौर पत्नी श्री गुरदयाल सिंह पुत्री श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2 कर्मजीत कौर पत्नी श्री गुरतेज सिंह पुत्री श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर। -- वादीगण

-:: बनाम ::-

1 रूप सिंह पुत्र श्री भगत सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :- 09.08.2019

वादीगण की और से श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और
से श्री भवानीसिंह निर्वाण अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैरोकार इस
वाद में आज दिनांक 09.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन
सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया
जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1
रूपसिंह के नाम तहसील हनुमानगढ़ के तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 25 एल.एल.डब्ल्यू.
के खाता संख्या 106/95 की 2.201 हैक्टर, चक 1 यू.टी.एस. के खाता संख्या 73/66 की
कुल 0.582 हैक्टर में से 0.038 हैक्टर व चक 3 यू.टी.एस. के खाता संख्या 115/99 की 2.
972 हैक्टर में से 1.960 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.199 हैक्टर भूमि का वादीया संख्या 1
परमजीतकौर को तथा प्रतिवादी संख्या 1 रूप सिंह के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक
27 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 106/83 की 5.060 हैक्टर, भूमि का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

-:: वाद के खर्चे ::-

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:23:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: